

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
महावीर कैसर सरथान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	रजीत मडल पिता—विलु मडल ग्राम—रखा टोला मनसाही पोस्ट—मनसाही थाना—मनसाही जिला—कटिहार एम0सी0एस—एफ 98346	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अजय कुमार ओझा पिता—केशव ओझा ग्राम+पो0—चदवा थाना—आरा नवादा जिला—भोजपुर एम0सी0एस—एफ 91125	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	भारती रानी पति—विकास कुमार ग्राम—धमदाहा उत्तर पोस्ट+थाना—धमदाहा जिला पूर्णिया एम0सी0एस—एफ 90286	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मन्दु कुमार पिता—बाडे पडित ग्राम—सहोखर पो0—सोहसराय थाना—सोहसारय जिला नालदा एम0सी0एस—जी0 438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	नगीना साह पिता-तीसराज साह ग्राम-डुमरा पोस्ट-बैसखवा थाना-गोपालपुर जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-जी० 833	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	कलावती देवी पति-परमेश्वर साह ग्राम-चुन्नी पोस्ट-मुफ्फसिल थाना-मुफ्फसिल जिला-बक्सर एम०सी०एस-जी० 253	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अराधना देवी पति-विनोद सिंह ग्राम+पो०-सोनवर्षा थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा एम०सी०एस-एफ 66917	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
8	मजु देवी पति-ललन प्रसाद ग्राम-लाला भदसारा पो०-लाला भदसारा थाना-दुल्हन बाजार जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 97330	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	चमेला देवी पति-सत्येन्द्र प्रसाद कुशवाहा ग्राम+पो०-बरुही थाना-सहार जिला-भोजपुर एम०सी०एस-जी० 36	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मास्टर शिवम कुमार पिता-राम बाबु यादव ग्राम-खरहुँआ पो०-सिडखिडिया थाना-महिन्दवारा जिला-सीतामढी एम०सी०एस-एफ 83516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	कृष्णा देवी पति-स्व० राम लखन पासवान ग्राम-भालपट्टी पोस्ट-नैनाघाट थाना-भालपट्टी जिला-दरभंगा एम०सी०एस-एफ 99859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	अमित राज पिता-स्व० अनुप देव प्रसाद ग्राम-बालूपर कुर्जी पो०-सदाकत आश्रम थाना-दीघा जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 60006	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	पानमती देवी पति-रामशकर ठाकुर ग्राम-जसौली मानसिंह पो०-पचरूखी थाना-पचरूखी जिला-सीवान एम०सी०एस-जी० 1401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सजु देवी पति-उपेन्द्र पासवान ग्राम-सम्सापुर जफराबाद पोस्ट+थाना-फतुहा जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 84066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	नवीन राजवशी पिता-हरी राजवशी ग्राम+पो०-कोनीबर थाना-नरहट जिला-नवादा एम०सी०एस-एफ 99662	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	बच्ची देवी पति-मुन्द्रिका सिंह ग्राम-धनीया बगीचा पो०-गया स्टेशन थाना-देलाहा जिला-गया एम०सी०एस-जी० 202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	फुलेश्वर ठाकुर पिता-स्व० प्रसाद ठाकुर ग्राम-तुलसियाही पो०-मनोहरपट्टी थाना-सुपौल नदी जिला-सुपौल एम०सी०एस-जी० 387	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सत्येन्द्र प्रसाद पिता-स्व० कृष्णा महतो ग्राम-धरमपुर पोस्ट-धरमपुर थाना-काको जिला-जहानाबाद एम०सी०एस-जी० 1237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	पुतुल देवी पति-पप्पु यादव ग्राम+पो0 विजय नगर थाना-बाका जिला बाका एम0सी0एस-एफ 97996	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	माल भोग देवी पति-राम चन्द्र ठाकुर ग्राम-मालीपुर पो0 मालीपुर थाना-गढपुरा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 99868	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	चन्द्रकला देवी पति-राम सरन दास ग्राम-जहागीरपुर पो0-तेहवारा थाना-गायघाट जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 134	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	शकर राम पिता-रामेश्वर राम ग्राम-मराची गांधी टोला मोकामा पो0+थाना-मराची जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 98057	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	ज्योती कुमारी पति-राजीव कुमार ग्राम-तिनगछीया पोस्ट-कटिहार थाना नगर जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 98613	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	विगनी देवी पति-स्व0 मेवालाल राम ग्राम-महावर पोस्ट-दाउद नगर थाना-दाउद नगर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 9700	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	कान्ति देवी पति-हरकेश्वर ठाकुर ग्राम-'उन्हचक पोस्ट-उन्हचक थाना-दिघवारा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 98183	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मो० नसीम पिता-जलील मिया ग्राम+पो०-चद्रयान थाना-नवहट्टा जिला-सहरसा एम०सी०एस-एफ 97679	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	रिशु कुमारी पिता-चन्द्रहास कुमार सिंह ग्राम+पो०-कोयलादेवा थाना-फुलवरिया जिला-गोपालगंज एम०सी०एस-एफ 93040	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	बबीता कुमारी पति-अखिलेश कुमार यादव ग्राम-दुबौली वार्ड 02 पो०-दुबौली थाना-पानापुर जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 99018	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	शेष नारायण मिश्रा पिता-चन्द्रशेखर मिश्रा ग्राम-कौडिया वार्ड 08 पोस्ट-लालपुर थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढ़ी एम०सी०एस-एफ 95558	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	शशि देवी पति-रविन्द्र नाथ वर्मा ग्राम-गुलरिया बीगहा पो०-सडा थाना-धनरूआ जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 661	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	माया देवी पति-मुरारी प्रसाद ग्राम-दौलतगंज चिकटोली पो०-छपरा थाना-भगवान बाजार जिला सारण एम०सी०एस-एफ 66789	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
32	रमेश कुमार सिंह पिता-ब्रह्मदेव सिंह ग्राम-बाजीतपुर मलाही पो०-बिदुपुर आर० एस० थाना-बिदुपुर जिला-वैशाली एम०सी०एस-जी० 801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	त्रिभुवन ठाकुर पिता-धर्मनाथ ठाकुर ग्राम+पो0-जैतीपुर थाना-लालगज जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 94677	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	जय कृष्ण यादव पिता-माखन प्रसाद यादव ग्राम+पो0-भवानीपुर थाना-भवानीपुर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 412	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रेणु देवी पति-शिव शकर साह ग्राम-बरहरा कोठी पो0-बरहरा थाना-बी0 कोठी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 75588	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	शर्मिला देवी पति-सुखल पासवान ग्राम-बहुआरा पो0-बिदुपुर आर0 एस0 थाना-बराटी जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 97360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	रीता देवी पति-रामानन्द पोद्दार ग्राम-सतकोदरिया पो0-गंगौली थाना-सहायक मरगा जिला पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 515	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	विनोद महतो पिता-राम विलास महतो ग्राम-अगन पो0-दहिया थाना-भगवानपुर जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 94423	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	पुष्पा देवी पति-शम्भु सिंह ग्राम-खैरपुर पो0-अकिदतपुर थाना-खरीक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 612	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	सुनिता देवी पति-राम प्रीत सिंह ग्राम-बेनीपुर वार्ड 02 पोस्ट-करौटा थाना-सालीमपुर जिला-पटना एम0सी0एस-ई0 68348	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
41	शकर राय पिता-लगन राय ग्राम-सररिया पोस्ट-खानजहाचक थाना-लालगज जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 94914	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	शिव शकर साह पिता-स्व0 भोला साह ग्राम-मिश्रौलीया वार्ड 13 पोस्ट-अदलपुर थाना-जन्दाहा जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 98473	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	सुनीता देवी पति-विरेन्द्र दास ग्राम-दौलतपुर देवरिया पोस्ट-सुभई थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 1449	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	उर्मिला देवी पति- अरविन्द मडल ग्राम-धरहरवा पोस्ट-चैनपुर धरहरवा थाना-ओराई जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 70325	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	रघुवीर कामत पिता-राम किशुन कामत ग्राम+पो0-सोनवर्षा थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 98853	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	बाजो देवी पति-केदार साह ग्राम-सुगौली पो0-धोवनी थाना-लौरिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 810	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	नीलम कुमारी पति-अजीत यादव ग्राम-अकौनाडीह पोस्ट-अकौना बाजार थाना-मुफसिल जिला-नवादा एम0सी0एस-एफ 99421	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	उर्मिला देवी पति- राज नारायण राय ग्राम-सबलपुर चहारम पोस्ट+थाना-सेनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 743	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	मदन प्रसाद सिंह पिता-स्व0 खेदन सिंह ग्राम+पो0-बेलौन थाना-सिकरौल जिला-बक्सर एम0सी0एस-जी0 1073	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	उर्मिला देवी पति-जवाहिर राय ग्राम-इलाहीबाग पो0-बैरिया थाना-गोपालपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 63205	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	मास्टर शम्भु कुमार पिता-जनार्दन पासवान ग्राम-पो0-मकवा थाना-असरगज जिला-मुंगर एम0सी0एस-जी0 459	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	सध्या कुमारी पिता-स्व0 जटु दास ग्राम-मुस्तफाबाद वार्ड 30 पोस्ट-रामपुर थाना-रामपुर जिला-गया एम0सी0एस-एफ 95291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	यश कुमार पिता-अवधेश राय ग्राम-विशम्भर टोला काण्डप पो0-काण्डप थाना-गौरीचक जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 1451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	सुरेश प्रसाद पिता-स्व० सुखदेव प्रसाद ग्राम-खंदकपर पो०+थाना बिहार शरीफ जिला-नालदा एम०सी०एस-जी० 380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	गोपी पासवान पिता-स्व० सुखदेव पासवान ग्राम-सोनवर्षा टोला 13 पो०-सहुरिया थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा एम०सी०एस-एफ 98912	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	मजिदुर रहमान पिता-मो० वजीर ग्राम+पो०-अझरैल थाना-बलरामपुर जिला-कटिहार एम०सी०एस-एफ 98850	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	शभु कुमार सिंह पिता-राम नन्दन सिंह ग्राम-जमुनिया उर्फ मजुरवा पो०-चक्की थाना-सोनवर्षा जिला-सीतामढी एम०सी०एस-एफ 88849	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	चदेश्वर पासवान पिता-गनौरी पासवान ग्राम-अख्तियारपुर पो०-उर बिशुनपुर थाना-अलीपुर जिला-गया एम०सी०एस-एफ 97841	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	कान्ति देवी पति-अच्छे लाल मुखिया ग्राम-बकहि पोस्ट-डुमरी थाना-योगापट्टी जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-जी० 740	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	सीमा कुमारी पति-शभु कुमार मुखिया ग्राम-फतेहपुर पो०-माली थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा एम०सी०एस-एफ 97405	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	राज कुमार प्रसाद पिता-महावीर प्रसाद यादव ग्राम-बिशनपुर पो0-बिशनपुर थाना-गोविन्दपुर जिला-नवादा एम0सी0एस-जी0 722	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	सरयु प्रसाद कर्मकार पिता-बभन कर्मकार ग्राम-सूर्या हाट पो0-घनो फूलपरास थाना-तेढागाछी जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 99936	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	प्रीती देवी पति-विष्णुदेव मडल ग्राम-चैती पोस्ट-रागा थाना-बेलहर ओ0पी0 जिला-बाका एम0सी0एस-एफ 99092	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	सजय राय पिता-गरभु राय ग्राम-अहिरौलीया पो0-बारा चकिया थाना-चकिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 95874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	कृष्ण कुमार राय पिता-हरिवश राय ग्राम-अधौरा पोस्ट-मुझी थाना-काराकाट जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 69641	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	आरती कुमारी पति-राघव ठाकुर ग्राम-ढगा वार्ड 12 पो0-ढगा थाना-अरेर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 83114	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	प्रताप कुमार ठाकुर पिता-शम्भु ठाकुर ग्राम-जीतु गाछी पो0-लाल बाग थाना-शिला घाट जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 68023	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	उर्मिला देवी पति-दिनेश साह ग्राम+पो0-अहियापुर थाना-साहेबगज जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 1076	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	किशोरी देवी पति-योधन महतो ग्राम-जलगोविंद पोस्ट-अचुआरा थाना-बाढ़ जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 99506	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	रामेश्वर शर्मा पिता-वीर शर्मा ग्राम-बरुना पोस्ट-सिहुली खेरा थाना रफीगज जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 972	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	अजनी देवी पति-शशी भुषण मिश्रा ग्राम+पो0-लश्करी थाना-उदाकिशुनगज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 88685	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	सुचिता देवी पति-कन्त लाल पांडा ग्राम+पो0-रग्राम थाना-तारापुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस-एफ 92152	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	मजु देवी पति-विनोद पासवान ग्राम-चाद चौर रामनगर पो0-बेलामेघ थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 224	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	बीगन यादव पिता-कुलदीप यादव ग्राम-जगदीशपुर वार्ड 6 पो0-निधवा थाना-कुर्था जिला-अरवल एम0सी0एस-एफ 95256	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	रूपचंद कुमार पिता-अनिल चौधरी ग्राम झौर पो0-श्रीरामपुर थाना-शेरघाटी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 86299	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	सतोष राम पिता-मन्दुन राम ग्राम-भगवानपुर देसुआ पो0-भगवानपुर देसुआ थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 34997	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	आशा देवी पति-फुलो सिंह ग्राम-कौनीया पो0-सुम्महा थाना-गगौर जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 99588	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	मनीष कुमार पिता-इन्द्रदेव यादव ग्राम-अमडौट पो0-परघडी थाना-सबौर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 99928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	जुल्फेकार असारी पिता-रफीक असारी ग्राम+पो0-बहेरा थाना-मजोरगज जिला-सीतामढी एम0सी0एस-जी0 181	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	मजु देवी पति-सीता राम महतो ग्राम-राघोपुर पश्चिमी पो0-राघोपुर थाना-जुडावनपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 721	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	ज्ञान्ती देवी पति-जनकधारी चौधरी ग्राम-कमलकात कररिया पोस्ट-कमलकात कररिया थाना-फूलवरीया जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 97963	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	रामबली मडल पिता-मोहित मडल ग्राम+पो0-अजीजपुर चदे थाना-पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 1596	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	बिकु राम पिता-शनिचर राम ग्राम-मुश्कीपुर चद्रवश टोला पो0-जमालपुर गोगरी थाना-गोगरी जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 99854	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	गीता देवी पति-दिलिप यादव ग्राम+पो0-जलालपुर थाना-दरौदा जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 98735	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	रेखा देवी पति-राजेश पासवान ग्राम-सगथु पो0-अमरथ थाना+जिला जमुई एम0सी0एस-एफ 99984	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	विद्यापति देवी पति-राधे श्याम सिंह ग्राम-पचरा पो0-डगरी थाना-कुदरा जिला कैमुर भभुआ एम0सी0एस-एफ 98152	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	सजु देवी पति-नरेश बैठा ग्राम-कोटवारा 8 पोस्ट-सरमस्तपुर थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 1250	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	किरण देवी पति-शिव शकर साह ग्राम-मनसुरचक पो0-मनसुरचक थाना-मनसुरचक जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 90626	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	उमाकान्त राय पिता-चरण राय ग्राम-लवटोल पो0-टेगरार थाना-खुटौना जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 338	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
90	लक्ष्मी देवी पति-मितलाल शर्मा ग्राम-अमनौर कल्याण पोस्ट+थाना-अमनौर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 96926	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
91	तसलीमन नेशा पति-रफी अहमद ग्राम-मुसेहरी पो0-सिरिसिया थाना-जामो बाजार जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 75392	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
92	मुकेश सहनी पिता-दुल्लर सहनी ग्राम+पो0-अली नगर लेवढन थाना-बलिगाव जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 98379	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
93	रंजीत कुमार राम पिता-राधे प्रसाद राम ग्राम-नारायणदास लेन मारुफचक पो0-मिरजानहाट थाना-मोजाहिदपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 90409	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
94	मिथिलेश कुमार पिता-कामेश्वर यादव ग्राम-इटवा पो0-सिहपुर थाना गम्हरीया जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 99926	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
95	सूर्यमणी कुमार पिता-सरोज कुमार ग्राम+पो0-रसीसा थाना-औगारी जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 854	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

96	राज कुमारी देवी पति-राम पुकार साह ग्राम-बखार चडीहा पोस्ट-बखार चडीहा थाना-पुरनहिया जिला-शिवहर एम0सी0एस-एफ 76662	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	नागे दास पिता-देवन दास ग्राम-नोनीया टोल पो0-मधुबनी थाना टाउन जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 138	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	फुलमती देवी पति-सुरेश पासवान ग्राम-मीरा बीगहा पो0-घोषी थाना-घोषी जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	तकदीरान नेशा पति-मुख्तार असारी ग्राम-जलवाटोली पोस्ट-हुसैनी थाना-डुमरिया जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 1106	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	फुल कुमारी देवी पति-लाल बाबु राय ग्राम-बनघारा टोल रूपौली पोस्ट-रूपौली थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 105	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	श्याम बाबु राय पिता-स्व0 राम चन्द्र राय ग्राम-शाहपुर ठाकुर बाडी पो0-दाउदपुर थाना शाहपुर जिला पटना एम0सी0एस-जी0 2061	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	राधा रानी राय पति सोनु कुमार ग्राम-सादिकपुर पो0-सादिकपुर थाना-मनेर जिला पटना एम0सी0एस-जी0 713	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	लाल साफी पिता-योगेन्द्र साफी ग्राम-धेपुरा धाई टोल पो0-कैवटी रनवे थाना-बिस्फी जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	अब्दुल हन्नान पिता-अब्दुल हाफीज ग्राम-मोतीबाग कर्बला पो0+थाना-किशनगज जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 1675	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	रीता देवी पति-यमुना प्रसाद यादव ग्राम+पो0-कैवटना थाना-फुलपरास जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 1316	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	हाफीज मोहम्मद नाजीम पिता-अब्दुल कैयुम ग्राम-रोहुआ पूर्वी पो0-रोहुआ थाना-वारिस नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 99801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	रमेश कुमार पिता-चन्द्रदेव सिंह ग्राम-सुकहरा पो0-धवनी थाना-काराकाट जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 94791	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	सुमित्रा देवी पति-राम नरेश राय ग्राम-चम्पापुर वार्ड 02 पो0-चम्पापुर कोईरिया थाना-घोडा साहन जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 95787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	सन्नी कुमार पिता-टुनटुन राम ग्राम-बखरिया पो0-बेलघाट बलुआ थाना-मुफ्फसिल जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 93451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	सिपु पासवान पिता-जय नारायण पासवान ग्राम-बडहिया कोल पो0-पैमार घाट थाना-पुनपुन जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 1131	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	चिता देवी पति-अशोक महतो ग्राम-पटेढा पो0-तुजारपुर थाना-खैरा जिला सारण एम0सी0एस-एफ 99838	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	राजेन्द्र राय पिता-स्व0 कृष्ण राय ग्राम-जवही जगदीशपुर पोस्ट-हठीलपुर थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर एम0सी0एस-जी0 323	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	हरि शंकर ठाकुर पिता-गेना ठाकुर ग्राम-पो0-कोयला बेलवा थाना-चकिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 1224	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	सगीता देवी पति-शनी पासवान ग्राम-महमदीपुर वार्ड 11 पो0-महमदीपुर थाना-मोहिउद्दीनपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 98949	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	रूपा देवी पति-रामानुज राय ग्राम-पो0-कोयल थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 98112	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	सीता कुमारी पिता-सुरेन्द्र राय ग्राम-राम नगर दियारा पो0-बख्तियारपुर थाना-अथमलगोला जिला-पटना एम0सी0एस-ई0 66147	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

117	कुमारी बेबी साह पति-अजीत कुमार ग्राम-माझी दक्षिण टोला पोस्ट+थाना-माझी जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
118	मिकी देवी पति-मनीष कुमार ग्राम+पो0-सकरदास नवादा थाना-बजीरगज जिला-गया एम0सी0एस-जी0 868	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	कौशल्या देवी पति-राजेन्द्र साह ग्राम-सुल्तानपुर पो0-सोनपुरा थाना-गडहली जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 1379	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	सच्चिदानन्द यादव पिता-देव नारायण यादव ग्राम-जसाईन पोस्ट-नन्दलाली थाना+जिला सहरसा एम0सी0एस-जी0 68	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	बेबी देवी पति-अशोक पासवान ग्राम-आझोकोपा पो0-आझोकोपा थाना-रूपौली जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 87323	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	जितेन्द्र महतो पिता-सीता राम महतो ग्राम-नरकटीया डोन पो0-सेरवा दोन थाना नवरगीया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 65645	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	गौरी कुमारी पति अविलाश कुमार झा ग्राम-कोर्थु पो0-कोर्थु थाना-घनश्यामपुर जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 99730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

124	सुलगनी देवी पति-जियालाल साह ग्राम-परसा पो0-कुडवा चैनपुर थाना कुडवा चैनपुर जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 476	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	हरिहर यादव पिता-स्व0 गनपत यादव ग्राम-सग्रामपुर मठिया पो0-सग्रामपुर थाना-सग्रामपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 287	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	आनदी देवी पति-कृपानाथ झा ग्राम+पो0-बिशनपुर थाना-अमौर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 1301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	शेख बाबुजान पिता-स्व0 शेख सुजायत ग्राम-पो0-दगसी थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 98941	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	अमृता कुमारी पति-अमृतेश चन्द्र राय ग्राम-मालती पो0-पिपरा थाना-फुलवरीया जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-112596	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	रोहित सिंह पिता-सुशील सिंह ग्राम-केशोपुर पो0-केशोपुर थाना-झाझा जिला जमुई एम0सी0एस-जी0 1166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	नकछेद साह पिता-लक्ष्मी साह ग्राम-पो0-जैतीया थाना-चनपटिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस जी0 894	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

131	प्रियाशु कुमार पिता-गौतम कुमार ग्राम-बुमबर पो0-जागीर थाना-बारा चट्टी जिला-गया एम0सी0एस जी0 144	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	सावित्री रानी राय पति-राजेन्द्र राय ग्राम-अमृतपुर वार्ड 03 पोस्ट-अमृतपुर थाना+जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 1080	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	पूजा देवी पति-सुबोध कुमार ग्राम-खिजुआ पोस्ट-बहादुरपुर थाना-रजौली जिला-नवादा एम0सी0एस एफ 99414	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	मानिक ठाकुर पिता-रेखा ठाकुर ग्राम-कबिलस्वा पो0-पचफेरा थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-एफ 98813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
135	सजोगा देवी पति-अम्बिका साव ग्राम-राजैन टेहटा पो0-टेहटा थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 95207	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	कमलाकात झा पिता-स्व0 मौजे लाल झा ग्राम-गावपुर वार्ड 13 पो0-भगवतपुर थाना-सराय रजन जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 86152	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
137	झांती देवी पति-रमेश प्रसाद साह ग्राम-शीतलपुर बाजार पो0-शीतलपुर थाना-दिघवारा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 81880	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

138	रमेश कुमार पिता— बैधनाथ चौधरी ग्राम— साढा ढाला पो0— साढा थाना— मुफसिल जिला— सारण एमसीएस न0— एफ 92635	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
139	रुबी पति— मोहम्मद सज्जाद ग्राम— अग्रवाल टोला आलमगज वार्ड 52 पो0— गुलजारबाग थाना— आलमगज जिला— पटना एमसीएस न0— जी 112	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,09,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,09,20,000/- (एक करोड़ नौ लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **196983**... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **3601018437** खाता धारक का नाम—'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

(Handwritten signature)

ज्ञापाक 2493(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्याधी प्रेषित।

निदेशक (प्रमुख)

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देववती देवी पति- गनौर पासवान ग्राम- हसनपुर बिसाई वार्ड 08 पो0- रामपुर बघेल थाना- महनार जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500598157	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	गंगा देवी पति- हीरालाल सिंह ग्राम- सिरुआ वार्ड 10 पो0- आनदपुर थाना- बहेडी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112502164979	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पारसमणि देवी पति- मोहन मडल ग्राम- सब स्टैंड बनमनखी वार्ड 07 पो0+थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112500190221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शुभम कुमार पिता- श्याम बाबु गोस्वामी ग्राम- नियर धर्मा वदन गंगा चक मलिकाना पो0+थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न0- 108112403068020	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

5	दीपू कुमार पिता- सुरेन्द्र यादव ग्राम- गुरुपतिचक वार्ड 01 पो0- अकौना थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न0- 108112300873919	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मीरा सिंह पति- उमेश पाडेय ग्राम- गणेशपुर वार्ड 10 पो0- बभनगामा थाना- रिगा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112500690592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	नरसिंह प्रसाद पिता- चमकलाल प्रसाद ग्राम- मिल्की वार्ड 11 पो0- अमरपुर थाना- मेदनी चौकी जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112501845824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	अनीता देवी पति- जयनारायण महतो ग्राम- परोरिया वार्ड 09 पो0- परोरिया थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112403667675	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	बिक्की कुमार पिता- विजय केवट ग्राम- अब्दुल्लाहचक वार्ड 16 पो0- बैरिया थाना- गोपालपुर जिला- पटना सीआर नं0- 108112501988030	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	जाहीर आलम पिता- नासिर उद्दीन ग्राम+पो0- हल्दीखोरा थाना- कोचाधामन जिला- किशनगंज सीआर नं0- 108112300570720	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	मालती देवी पति- दुर्गा राम ग्राम- सालेपुर वार्ड 01 पो0- लारी थाना- कुर्था जिला- अरवल सीआर न0- 108112502085459	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	तेतरी देवी पति- खखनु राय ग्राम- माई सीन भिखाचक वार्ड 13 पो0- अबिसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न0- 108112403119317	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	अजित कुमार गुप्ता पिता- धर्मनाथ प्रसाद ग्राम- कन्हौली संग्राम वार्ड 14 पो0+थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112500115296	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	बैधनाथ सहनी पिता- महेद्र सहनी ग्राम- कमलपुर पो0- मोरवारा थाना- बिरौल जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112300938239	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	अनीता देवी पति- अबधेश राय ग्राम- चिरैयाटोक वार्ड 10 पो0- चिरैयाटोक थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112403688940	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सुनीता देवी पति- प्रमोद यादव ग्राम- मोतीपोखर वार्ड 18 पो0- गोलमा थाना- पतरघट जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501625638	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सजीव कुमार पिता- उपेन्द्र प्रसाद ग्राम- चकमुना वार्ड 14 पो0- जूनियार थाना- हिलसा जिला- नालदा सीआर न0- 108112400644551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	मीरा देवी पति- फूलो सिंह ग्राम- रामपुर वार्ड 04 पो0- रामपुर थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112502024701	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	अवध देवी पति— राम भगण प्रसाद ग्राम— बैधनाथपुर पो0— करनौल थाना— साहेबगज जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 108112501663921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	चनारिक राय पिता— सकिचद्र राय ग्राम— राघोपुर पूर्वी वार्ड 10 पो0— राघोपुर थाना— जुरावनपुर जिला— वैशाली सीआर न0— 108112402957483	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	ललिता देवी पति— स्व0 आशोक यादव ग्राम+पो0— श्याम थाना— ग्वालपाडा जिला— मधेपुरा सीआर न0— 108112501421927	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	पुष्पा देवी पति— महाबीर प्रसाद गुप्ता ग्राम— पचभडा वार्ड 15 पो0— पचभडा थाना— तरैया जिला— सारण सीआर न0— 108112501931178	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	बिध्याचल यादव पिता— राम अवतार ग्राम+पो0— कोरियावा थाना— बडहरिया जिला— सिवान सीआर न0— 108112501757437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मोती यादव पिता— सत राम यादव ग्राम+पो0— नया भोजपुर थाना— डुमराव जिला— बक्सर सीआर न0— 108112301241941	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	हाजरा खातुन पति— मुमताज अहमद ग्राम— गौरिया वार्ड 03 पो0— फुलवार थाना— बजरिया जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 108112501758191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मिथलेश कुमार पिता- स्व० देव कुमार साहु ग्राम- भुसकी पो०+थाना- खुसरूपुर जिला- पटना सीआर न०- 108112500041594	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सतीश कुमार राय पिता- सुभाष राय ग्राम- हररामपुर वार्ड 05 पो०- ऐजनी थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय सीआर न०- 108112403490856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मुस्कान खातुन पति- साजिद आलम ग्राम- बलाहा वार्ड 11 पो०- बलाहा थाना- भवानीपुर जिला- भागलपुर सीआर न०- 108112500758561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	शशिभूषण प्रसाद पिता- स्व० चदेश्वर प्रसाद ग्राम- बालापर गया रोड पो०+थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा सीआर नं०- 108112501022062	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सुरजी देवी पति- कामेश्वर सिंह ग्राम- करबा मकेर अजनी वार्ड 03 पो०+थाना- मकेर जिला- सारण सीआर न०- 108112501528195	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	आरुसी कुमारी पिता- मनोज कुमार पासवान ग्राम- हिरौता पो०- हिरौता दुम्मा थाना- हिरम्मा जिला- शिवहर सीआर न०- 108112502106430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	बबिता देवी पति- सोहन राउत ग्राम- मसहा वार्ड 01 पो०- कोइरिया पिपरा थाना- परिहार जिला- सीतामढ़ी सीआर न०- 108112403825211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	रमेश राय पिता- बिदेश्वरी राय ग्राम- सलेमपुर पो0- सूतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न0- 108112501472360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	मृत्युजय सिंह पिता- जगदीश सिंह ग्राम- इटवा वा र्ड 02 पो0- मेहिया थाना- टडवा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112501677000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	बिनोद कुमार पिता- सीता राम राय ग्राम- पुवारी टोला फरदा पो0- फरदा थाना- सफियासराय जिला- मुगेर सीआर न0- 108112501697361	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	मनमोहन राय पिता- देवनदन राय ग्राम+पो0- पानापुर लगा थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112401217842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	मुशक पासवान पिता- नन्द पासवान ग्राम- पिपरा घाट वार्ड 10 पो0- पिपरा थाना- बथनाहा जिला- अररिया सीआर न0- 108112501763879	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	प्रियका कुमारी पति- पकज कुमार श्रीवास्तव ग्राम- माधोपुर बडा वार्ड 11 पो0+थाना- तरैया जिला- सारण सीआर न0- 108112501981736	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	काशी प्रसाद पिता- विधिचन प्रसाद ग्राम- मालकौनिया पो0- पचपकडी थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112501522375	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	रीकु देवी पति- संजीव रजन सिंह ग्राम- महम्मदपुर पो0- काला डुमरा थाना- जी0वी0 नगर जिला- सिवान सीआर न0- 108112500609604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	तनूजा कुमारी माता- सुनीता घोष ग्राम- नियर ललिता होटल ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड वार्ड 23 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- कोतवाली जिला- पटना सीआर न0- 108112300132966	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	रितेश कुमार पिता- बिकास पासवान ग्राम+पो0+थाना- भगवानपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112501835675	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	प्रमिला देवी पति- प्रमोद सिंह ग्राम- रूपडीह वार्ड 08 पो0- रूपडीह थाना- मुफस्सिल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500017154	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	अमोली देवी पति- स्व0 उपेद्र पासवान ग्राम+पो0- सन्हौली थाना- चित्रगुप्त नगर जिला- खगडिया सीआर न0- 108112403279331	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	राजमणी पिता- राम उदगार महतो ग्राम- मुर्गिया चक पो0- भोरेजयराम थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112501745731	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
46	मो0 कमाल उद्दीन पिता- मो0 मुसलिम ग्राम- कटहरी वार्ड 05 पो0- मोहब्बा थाना- डडारी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112502069780	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

47	मोहम्मद अबुल कलम पिता- मोहम्मद मुस्लिम ग्राम- कटहरी पो0- मोहब्बा थाना- डडारी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112501825211	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
48	उषा देवी पति- नवल किशोर पासवान ग्राम+पो0- मुजफ्फरगंज थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुगेर सीआर न0- 108112501546045	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	रजीत कुमार पिता- मकेश्वर महतो ग्राम+पो0- काकन थाना- जमुई जिला- जमुई सीआर न0- 108112402974591	हीप रिप्लेशमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
50	हीरालाल प्रसाद पिता- रामनाथ प्रसाद ग्राम- कहला हजारी टोला पो0- कहला थाना- बरौली जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112500929030	थाईराईड नोडयूल रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
51	सुजीत कुमार पिता- योगेन्द्र प्रसाद ग्राम- विष्णुपुरी पो0- अनिशाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न0- 108112300266788	Post Tranpla nt	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
52	रिकी देवी पति- अनिल कुमार ग्राम- कचहरी स्टेशन सलेमपुर वार्ड 25 पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण सीआर न0- 108112501664617	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	अशोक कुमार ठाकुर पिता- नागेशवर ठाकुर ग्राम- उसरी महल मुजा पो0- पहाडपुर थाना- बैकुंठपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112502282025	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

54	अमोद कुमार शर्मा पिता- चदेश्वर शर्मा ग्राम- प्रानपुर वार्ड 13 पो0- बरडीहा तुरकी थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500946422	हीप रिफ्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
55	तारा देवी पति-किशोर मेहता ग्राम-रहटा चौमुख वार्ड 06 पोस्ट-रहटा चौमुख थाना-बिहारीगंज जिला-मधेपुरा सीआरन0-10811250006333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	नागेश्वर गिरि पिता-स्व0 सुरज गिरि ग्राम-बरियापुर रूदल पो0- बरियारपुर थाना-मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112501827371	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	सोनी कुमारी पति-सजीत कुमार ग्राम+पो0-जगदीशपुर बघनगरी थाना-सकरा जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112501743045	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	रूबी देवी पति-प्रहलाद कुमार देव ग्राम+पो0-बिहरा थाना-बिहरा जिला-सहरसा सीआरन0-108112501872678	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	विष्णु प्रभाकर सिंह पिता-बलभद्र सिंह ग्राम-बसुधरा पैलेस न0-607 पो0-थाना-शास्त्री नगर जिला-पटना सीआरन0-108112400661170	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	पार्वती देवी पति-लक्ष्मण सिंह ग्राम-बडा हसनपुर पो0+थाना खसरूपुर जिला-पटना सीआरन0-108112502210237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	यशोदा देवी पति-फोकन विश्वास ग्राम-बैगाना पोस्ट-चौकता थाना-महलगाव जिला-अररिया सीआरन0-108112502009817	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	राम प्रवेश यादव पिता-दुखी यादव ग्राम-मालपुर वार्ड 08 पो0-पिपरीया थाना-पिपरीया जिला-लखीसराय सीआरन0-108112502018824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	धारबीर कुमार पिता-गणेश नट ग्राम-सगुनी पो0-श्रीरामपुर थाना-परसा जिला-सारण सीआरन0-108112502253840	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	निर्मला देवी पति-मनटुन यादव ग्राम-मोहनपुर पो0 मोहनपुर थाना-बखरी जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112500366698	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	उपेन्द्र साह पिता-जागेश्वर साह ग्राम-पररिया वार्ड 13 पोस्ट-पररिया थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा सीआरन0-108112501698775	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	पुष्पा देवी पति-नरेश सहनी ग्राम-सरसावा घाट पो0-बैद्यनाथपुर थाना-चिरेया जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112501804826	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	सुषमा सिंह पति-स्व0 जवाहर प्रसाद सिंह ग्राम-भस्ती पो0-पररिया थाना काश नगर जिला-सहरसा सीआरन0-108112502065342	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	शकुन्तला देवी पति-अशोक कुमार उपाध्याय ग्राम-काजीपुर वार्ड 10 पो0-रसलपुर थाना-डोरीगज जिला-सारण सीआरन0-108112501921849	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	प्रियका कुमारी पिता राज कुमार बिन्द ग्राम-अहमदपुर हरना मठ पो0-लारी थाना-कुर्था जिला-अरवल सीआरन0-108112502109391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	मगर पासवान पिता-रुदल पासवान ग्राम-धनकोल वार्ड 09 पो0-धनकोल थाना-पातेपुर जिला-वैशाली सीआरन0-108112501813230	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	काजल कुमारी पिता चमन कुमार ग्राम-करना वार्ड 11 पो0-परबता थाना-परबता जिला खगडिया सीआरन0-108112501644276	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	नजमा खातुन पति-अली हैदर ग्राम-एम0एम0 कोलनी वार्ड 41पो0+थाना-सिवान जिला-सीवान सीआरन0-108112501926638	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	बबीता देवी पति-सजीव कुमार सिंह ग्राम-नवटोली वार्ड 6 पो0-नगवास थाना-अरेर जिला-मधुबनी सीआरन0-108112300556514	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	आशिश राज पिता-जय किशोर प्रसाद ग्राम-पो0-मटियार कला थाना-सहियारा जिला-सीतामढी सीआरन0-108112501957975	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	डेजी कुमारी पिता-मुकुन्द कुमार सिंह ग्राम-बहादुरपुर वार्ड 12 पोस्ट-बहादुरपुर थाना-औद्योगिक जिला-भागलपुर सीआरन0-108112502209204	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	आरती कुमारी पिता-विजय कुमार मडल ग्राम-मधुबनी वार्ड 8 पो0-इसराइन बेला थाना-श्री नगर जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112502194355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	रामावती देवी पति-अशोक सिंह ग्राम-डिहरी वार्ड 08 पोस्ट-असनी थाना-उदवत नगर जिला-भोजपुर सीआरन0-108112500941323	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	उर्मिला देवी पति-कपिल प्रसाद ग्राम-बेन वार्ड 07 पो0-बेन थाना-बेन जिला-नालदा सीआरन0-108112502079548	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	उमेश साह पिता-बुनीलाल साह ग्राम-पकडिया वार्ड 11 पो0-पकडिया थाना-छौडादानो जिला पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112501809275	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	अकित कुमार पिता-मोती यादव ग्राम-कैलाशपुर वार्ड 10 पो0-अरथुआ थाना-कासमा जिला-औरंगाबाद सीआरन0-108112500607687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	किशुन प्रसाद पिता-शकर साह ग्राम-परसद वार्ड 6 पो0-परसागढ थाना-एकमा जिला-सारण सीआरन0-108112501056137	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	रामानंद साह पिता-लडुलाल साह ग्राम-मीरगज पो0-बेगुसराय थाना-टाउन पी0एस0 जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112502096582	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	रजु सिन्हा पति महेश सिंह ग्राम-नगला पो0-नगला किजर थाना-किंजर जिला-अरवल सीआरन0-108112501610754	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	शिवनदन सिंह पिता-सहदेव सिंह ग्राम-पो0-रकिया थाना-बिहरा जिला-सहरसा सीआरन0-108112501889414	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	सरोज पोद्दार पिता-कमलेश्वरी पोद्दार ग्राम-रामचन्द्रा पो0+थाना खगडिया जिला-खगडिया सीआरन0-108112301130243	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	प्रमिला देवी पति-चन्द्रिका राय ग्राम-तेतारपुर वार्ड 5 पोस्ट-तेतारपुर थाना-मोहीउद्दीन नगर जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112502058851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	रुकसाना खातुन पति-मोहम्मद मुमताज ग्राम-कचनपुर पो0-कचनपुर थाना-बिदुपुर जिला वैशाली सीआरन0-108112401563660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	जयसी साह पिता-बैद्यनाथ साह ग्राम-बरवा कला पो-झाझरा थाना-घोडासाहन जिला पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112502099166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	उषा देवी सिंह पति-रमेश सिंह ग्राम-सुष्पी वार्ड 13 पो0-सुष्पी थाना-सुष्पी जिला-सीतामढी सीआरन0-108112403166862	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	नुरजहां सिद्धकी पति नेजामुल ग्राम-समनपुरा राजा बाजार पो0-बी0भी0 कालेज थाना-शास्त्री नगर जिला-पटना सीआरन0-108112400164591	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	हीरा लाल राम पिता-नन्द कुमार राम ग्राम-भरकुरिया पो0-सकला बाजार थाना-कच्छवा जिला-रोहतास सीआरन0-108112502046241	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	रंधीर सिंह पिता-अरविन्द सिंह ग्राम-चकफतह पो0-कजरी बुजुर्ग थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली सीआरन0-108112501655391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	विनोद कुमार पिता-महावीर यादव ग्राम-मोहनिया पूर्व वार्ड 6 पो0-हरिपुर मादी थाना-बनमनखी जिला-पूर्णिया सीआरन0-108112501871744	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	आदित्य राज पिता-दिनेश कुमार ग्राम-करणपुरा पो0-सदीशोपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना सीआरन0-108112502006150	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	सरगम भारती पति जय प्रकाश सिंह ग्राम-कटेसर 05 पो0-आनन्दपुर थाना-रामपुर चौरम जिला-अरवल सीआरन0-108112501178186	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	अरुण पासवान पिता-अकलेश्वर पासवान ग्राम-गोगाकुरा पो0-बरमसिया थाना-झाझा जिला जमुई सीआरन0-108112501210462	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	विपिन प्रसाद पिता-बगाली प्रसाद ग्राम-कानु स्कूल के पीछे चनपटिया पो0-चनपटिया थाना-चनपटिया जिला-प0 चम्पारण सीआरन0-108112501873143	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	मो0 हीरो पिता-अली मोहम्मद ग्राम-अन्दौर पो0-अन्दौर थाना-मोहिउद्दीन नगर जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112501273537	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	सुनिता देवी पति-सतरोहन सिंह ग्राम-इस्लामपुर पो0-भगवानपुर थाना-रीगा जिला सीतामढी सीआरन0-108112402469519	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	प्रमिला देवी पति-सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-गौसपुर चकमजाहिद पोस्ट-महुआ थाना महुआ जिला वैशाली सीआरन0-108112501935114	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	सोना कुमारी पति अरुण कुमार गुप्ता ग्राम-दुलौर पो0-दुलौर बरद परवा थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर सीआरन0-108112402550022	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	सुमेश्वर राय पिता-'धरम राय ग्राम-रघुनाथपुर वार्ड 9 पो0-रघुनाथपुर थाना-कैसरिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112402333081	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	सोहन पडित पिता-खुनाय पडित ग्राम-सलीमपुर पो0-महेशखुंट थाना-महेशखुंट जिला-खगडिया सीआरन0-108112402936265	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	रविकान्त दुबे पिता-शिव शकर दुबे ग्राम-गडनी पो0-दहीवर थाना-औद्योगिक जिला-बक्सर सीआरन0-108112500041225	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	रामा देवी पति-चौथी यादव ग्राम-चिकनी पो0-सरायगढ थाना-भपटियाही जिला-सुपौल सीआरन0-108112501520984	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	श्यामा देवी पति-रामानंद झा ग्राम-महिनाथपुर पो0-मेहथ थाना भैरव स्थान जिला-मधुबनी सीआरन0-108112502137165	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	सरिता देवी पति-'सुनील मडल ग्राम-ताराबाडी पो0-डभरा थाना-ताराबाडी जिला-अररिया सीआरन0-108112501920753	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	राज कुमार पिता-रतन सहनी ग्राम-छिट भगवतीपुर अहियापुर पो0-प्रधान डाकघर थाना-अहियापुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112403226644	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	फुला देवी पति-अरुण कुमार ग्राम-जहानपुर पो0-पभेडा थाना-धनरूआ जिला पटना सीआरन0-108112501511560	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	अभिनय सौरभ पिता-सुमन कुमार ग्राम-सकरौली वार्ड 01 पो0-सकरौली थाना-चेरिया बरियारपुर जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112502024191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	रुवैदा खातुन पति-मो0 मुस्तफा ग्राम-जावज पोस्ट-जावज थाना-महनार जिला वैशाली सीआरन0-108112500165064	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	गीता वर्मा पति-बिपिन बिहारी वर्मा ग्राम-किला मोहल्ला नियर सोमानी हार्डवेयर पोस्ट-बेतिया थाना-नगर जिला-प0 चम्पारण सीआरन0-108112301189299	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	लक्ष्मण राय पिता-राजनाथ राय ग्राम-कसमार वार्ड 10 पो0-खरीका थाना-सोनपुर जिला-सारण सीआरन0-108112500247443	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	इन्द्रानी देवी पति-ललन चौधरी ग्राम-जीवछपुर पो0-जीवछपुर थाना-गम्हरीया जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112500883749	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	निलम पति-रजीत कुमार सिंह ग्राम-हस्तिनापुर वार्ड 02 पो0-भलुआ थाना शम्भुगज जिला-बाका सीआरन0-108112500253877	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
116	प्रमिला देवी पति-उपेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-बागवन वार्ड 5 पो0-मोहनपुर थाना-बखरी जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112501933758	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।

117	उमा शकर प्रसाद पिता-ललन प्रसाद ग्राम-निघवा पो0-निघवा थाना कुर्था जिला अरवल सीआरन0-108112502030361	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
118	शैलेन्द्र साह पिता दीनानाथ साह ग्राम+पो0-रुकन्दीपुर थाना-दरौंदा जिला सीवान सीआरन0-108112402704160	Cataract Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
119	सिकन्दर विश्वनाथ राउत पिता-विश्वनाथ राउत ग्राम-चोटाही पो0-बखरी थाना रिगा जिला-सीतामढी सीआरन0-108112501104174	हृदय रोग सी0ए0बी0 जी0	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
120	राहुल कुमार पिता-मनोज कुमार ग्राम-सबनीमा पो0-सबनीमा थाना-अथमलगोला जिला पटना सीआरन0-108112501579482	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
121	देवती देवी पति- राम दुलार सिंह ग्राम- रोड न0- 14 शिव बडा मदिर के पास पो0- केशरी नगर थाना- राजीवनगर जिला- पटना सीआर नं0- 108112501426694	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	संजीवन राम पिता- छटू प्रसाद ग्राम+पो0- पिरौना थाना- गरखा जिला- सारण सीआर न0- 108112400543029	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	प्रमिला देवी पति- दशरथ राय ग्राम- बिदुपुर डीह पो0- बिदुपुर बाजार थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300365204	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

124	सजय सिंह पिता- शकर प्रसाद सिंह ग्राम- कैराकादो पो0- मागोबन्दर थाना- जमुई जिला- जमुई सीआर न0- 108112502167277	हर्निया रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
125	डबलू कुमार पिता- स्व0 कमलेश्री मडल ग्राम- मुशनहार पो0- ईअवा थाना- धरहरा जिला- मुगेर सीआर न0- 108112500896123	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	लालपरी देवी पति- कृष्णा राम ग्राम- इदिलपुर पो0- बारवे थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112403257005	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	रविनाथ प्रसाद सिंह पिता-देव नारायण सिंह ग्राम-खजवत्ता पोस्ट-चक सिकदर थाना-बिदुपुर जिला-वैशाली सीआरन0-108112502098917	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	मीना चौरसीया पति-धुरधर प्रसाद चौरसीया ग्राम-हसनपुर वार्ड 1 पो0-नया गाव थाना-नया गांव जिला-सारण सीआरन0-108112401420702	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	रिक्कु देवी पति-सजीव रजन सिंह ग्राम-महम्मदपुर पोस्ट-काला डुमरा थाना-जी0 बी0 नगर जिला-सीवान सीआरन0-108112500609604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	राजीव रजन कृष्णा पिता-स्व0 नदु लाल ग्राम-आनदपुरी बोरिंग केनाल रोड पटना, पो0-जी0पी0ओ0 थाना-एस0के0पुरी जिला-पटना सीआरन0-108112300182321	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

131	विनोद महतो पिता- चीनी गोदाम नोनिया टोला पो- लालबाग थाना- नगर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501165408	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,08,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,08,20,000/- (एक करोड़ आठ लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2494(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

2495(14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
कंकड़बाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक 08/9/2025

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अखिलेश कुमार सिंह पिता- हरिवंश नारायण सिंह ग्राम- पट्टी शीतल पो0- सूतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण रजि नं0- 2526/22121	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	मोहम्मद सलाम अंसारी पिता- मोहम्मद नवी अंसारी ग्राम- नया भोजपुर वार्ड 05 पो0- नया भोजपुर थाना- डुमराव जिला- बक्सर रजि नं0- 2526/17838	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			2,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2495(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध सस्थान प्रा0 लि0,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक.

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामसरन यादव पिता- हुलो यादव ग्राम+पो0- चौकी थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मो0 हेयात खान पिता- सादिक खान ग्राम+पो0+थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	शत्रुघन मंडल पिता- सुखिचांद्र मंडल ग्राम+पो0+थाना- बिथान जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	मो0 शमीम अहमद पिता- नाजीर अहमद ग्राम- सलेमपुर लॉजो वार्ड 02 पो0- सैदाबाद थाना- पाली जिला- जहानाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	रेखा देवी पति- आनंदी साह ग्राम- रौशन चक लेन अलीगंज वार्ड 43 पो0- मिरजानहाट थाना- बबरगंज जिला- भागलपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	सुनील कुमार वर्मा पिता— जानकी महतो ग्राम+पो0+थाना— दनियावा जिला— पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सदीप चौधरी पिता— वैधनाथ चौधरी ग्राम— गोधौल पो0—सादुल्लाहपुर थाना— बिस्फी जिला— मधुबनी	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
8	आशा कुमारी पति— रंजय कुमार ग्राम— बैकुण्ठपुर वार्ड 04 पो0— बैकुण्ठपुर थाना— राजापाकर जिला— वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			8,55,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,55,000/— (आठ लाख पचपन हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196783 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम—"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार— चालू बैंक का नाम—इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली

रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2496(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक .. .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रमोद पासवान पिता- बल्ली पासवान ग्राम- बडी युसुफपुर पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	ए प्लास्टि एनिमा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	बबिता देवी पति- धर्मेन्द्र प्रसाद राय ग्राम- धमार वार्ड 03 पो0- धमार थाना- मुफ्फसिल जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पवन कुमार सिंह पिता- पृथ्वी सिंह ग्राम- नजीबा वार्ड 01 पो0+थाना- सहाजितपुर जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राजेश मिश्रा पिता-गौतम मिश्रा ग्राम-शहरकोला पो0-शहर कोला थाना-बसतपुर जिला-सीवान	नी रिपलेस्मेट	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत।
			3,35,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके

संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196987 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2497(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196987 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बुधनी देवी पति- सुखो मेहता. ग्राम- लतराहा वार्ड 13 पो0- अमहा थाना- लौकहा जिला- सुपौल	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुबोध प्रसाद चौरसिया पिता- दसोगी प्रसाद चौरसिया ग्राम- कटहरा पो0- मोहनपुर थाना- छातापुर जिला- सुपौल	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रिंकी कुमारी पति- राहुल कुमार ग्राम- रतनपुरा गरहा ज्ञानी सह चौक वार्ड 15 पो0+थाना- भगवान बाजार जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 2,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196987 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर

अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2498(14)

पटना, दिनांक 08/9/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आलीसा सोनी पिता- विक्की कुमार ग्राम- सांढा डमबर मोतीपुर पो०+थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर यूएचआईडी नं०- 3000575351	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
2	पुटा देवी पति- नवल किशोर सिंह ग्राम- मुंगेर वार्ड 44 पो०- मुंगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुंगेर यूएचआईडी नं०- 3000576350	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	राधेश्याम तिवारी पिता-नंद किशोर तिवारी ग्राम-मनियारपुर वार्ड 8 पोस्ट-मनियारपुर थाना-बिदुपुर जिला-वैशाली रजि नं०- 3000001259	स्पाइन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			6,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,30,000/- (छः लाख तीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2499(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176982 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भरत सिंह पिता- स्व० रामेश्वर सिंह ग्राम- कुशवाहा टोला मशरख पो०+थाना- मसरक जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विनय यादव पिता- घुरन यादव ग्राम- सझौती पो०- गोरियामि थाना- अलौली जिला- खगडिया	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सहना खातून पति- मोहम्मद बालम समतु ग्राम- रामशतु सीन पो०+थाना- बिहटा जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	मजू बाजोरिया पिता- स्व० बिमलेश बाजोरिया ग्राम- भागलपुर भगवती कुटयार्ड पो०- भागलपुर थाना- तिलकामांझी जिला- भागलपुर	नी रिप्लेशमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	निर्भय कुमार पिता- युगेश्वर सिंह ग्राम- खैरा पो०- उसरी थाना- कलेर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

	जिला- अरवल			
6	भोला चौधरी पिता- उमेश चौधरी ग्राम- जगदीशपुर पो0- निरपुर थाना- नालदा जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
7	निखिल कुमार पिता- मुकेश कुमार राय ग्राम+पो0- रायपुर बुजुर्ग थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	पिकी कुमारी पति- दीपक कुमार महतो ग्राम- अकराहा पो0- सिरनिया थाना- हायाघाट जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	रंजन चौहान पिता- देवेन्द्र चौहान ग्राम- सबलपुर पो0- गोकुरा थाना- चंडी जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मजु देवी पति-हरिवंश राय ग्राम-धर्मपुरा पोस्ट-मुजराढ थाना-नोखा जिला-रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			8,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,80,000/- (आठ लाख अस्सी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176783 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लोर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 08/9/2025

ज्ञापाक 2500(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इन्दुकला देवी पति- स्व० रमेश प्रसाद चौपाल ग्राम- सिसौनी पो०- सहजौली थाना- अलीनगर जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	शहाबुद्दीन पिता- अजार अहमद ग्राम- बेलपकौना पो०- बधपुरा थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर	ट्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
3	अतुल ठाकुर पिता- स्व० बैधनाथ ठाकुर ग्राम+पो०- लक्ष्मीसागर थाना- सदर जिला- दरभंगा	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 1,95,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,95,000/- (एक लाख पन्चानवें हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।



- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 08/9/2025

ज्ञापांक 2501(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (फ्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बदना देवी पति- गोपाल प्रसाद ग्राम+पो०+थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर	Surgery (LAP INCISIONAL HERNIA)	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	धीरेन्द्र कुमार पिता- देवनारायण राय ग्राम- विशनपुर पो०+थाना- चौरौत जिला- सीतामढ़ी	Surgery (LAP NEPHRECTOMY)	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	श्वेत प्रकाश पिता- सत्येंद्र कुमार कश्यप ग्राम- ईदगाह मोहल्ला पो०+थाना- डेहरी जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	सहिना खातून पति- इरफान अहमद खान ग्राम- दुलमा पो०- चौरमा थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एमवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	विक्रम कुमार पिता-ब्रिज कुमार ग्राम-फ्लैट न०-101, मातृ वात्सलय अपार्टमेंट, पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला-पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	एजाजुल हक पिता-अब्दुलाही मिया ग्राम-राजापुर मिल्की पोस्ट+थाना-नयागाव जिला-सारण	हृदय रोग CABG	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	त्रीसा सगम पिता- सुनील कुमार ग्राम- दरवा टोला पो0+थाना- इसुआपुर जिला- सारण	FUSED LABIA	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	संजय मडल पिता- शिवनदन मडल ग्राम- तुलसीपुर पो0+थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुंगेर	Surgery (EVL UNDER SEDATION)	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			5,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196783 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अंदर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2502(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक ..

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अवधेश कुमार पिता— रामचंद्र महतो ग्राम— विन्दा कॉलोनी छोटी पहाड़ी पो०— बड़ी पहाड़ी थाना— अगमकुआँ जिला— पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	विवेकानंद वियोगी पिता— भूदेव यादव ग्राम— सुजाल कोरमा पो०— कतरग थाना— रजौन जिला— बाका	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	ललिता देवी पति— सुगन राय ग्राम— रामचरण छतनी पो०— धोबियाकालापुर थाना— नौबतपुर जिला— पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	संजय कुमार सिंह पिता— तपेश्वर सिंह ग्राम— हेमनगर कॉलोनी साढा पो०— साढा थाना— मुफ्फसिल जिला— सारण	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	पारस सिंह पिता— रामजी सिंह ग्राम+पो०— मदरना थाना— वैशाली जिला— वैशाली	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	शिव प्रसाद चौरसिया पिता- राम किशुन प्रसाद चौरसिया ग्राम- काँटी करवा पो0+थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/-(चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2503(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० हाकिम हुसैन पिता- किताब हुसैन ग्राम- प्रताप पट्टी पो०- करनौल थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	राम कुमारी देवी पति- राम कुमार मिश्रा ग्राम- कञ्जराआ वार्ड 14 पो०- कञ्जराआ थाना- कोरमय जिला- बक्सर	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196783 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-50200037828274 खाता धारक का नाम-“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।





3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2504(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शेषनाथ पांडेय पिता- स्व० हरदेव पांडेय ग्राम- ठोरसन पो०- पिपरा थाना- करगहर जिला- रोहतास	Multiple Liver Abscess, Hyperkalemia	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	विकी कुमार पिता- प्रमोद प्रसाद जायसवाल ग्राम- डुमरवाना पो०+थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढ़ी	laparoscopic Cholecystectomy	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पीटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2505 (14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेंटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक.....

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अब्दुल हकिम पिता- कफीलउद्दीन ग्राम- मैनेजर टोला दोहर पो0- सोथा थाना- बहादुरगंज जिला- किशनगंज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रीता देवी पति- मोहन साह ग्राम-बेलाओं वार्ड 07 पो0- बेलाओं थाना- सिकरौल जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पुनम देवी पति- सुनील कुमार पाण्डेय ग्राम- महम्मदपुर वार्ड 02 पो0- टेकनवास थाना- महम्मदपुर जिला- गोपालगंज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बकरीदन खातुन पति- अली हसन मिया ग्राम- सोनबरसा चितावन वार्ड 06 बाघाकोल थाना- मकर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मगल सिंह पिता— हकार सिंह ग्राम— बहौरा वार्ड 08 पो0— धनछुहान थाना— चौरी जिला— भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	विनोद कुमार पिता— स्व0 देव शरण गोप ग्राम— काजीचक हनुमान मार्किट के सामन वार्ड 24 पो0+थाना— बाढ जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	विभा कुमारी पति— चन्दन कुमार ग्राम— तरबन्ना वार्ड 16 पो0— पचवीर थाना— साहेबपुर कमाल जिला— बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मो0 अबुजर पिता— मो 0 जहीर ग्राम— भेरोखरो वार्ड 06 पो0— भेरोखरा थाना— ताजपुर जिला— समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			6,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,40,000/- (छः लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196483 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम—“बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0” खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2506(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीलम सिंह पति- मुकुंद नारायण सहि ग्राम- वसंत विहार पो०+थाना- बेगूसराय जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रेनु देवी पति- अशोक कुमार ग्राम- गोला ग्रेड गजाधर चक वार्ड 22 पो०+थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राम शकल सिंह पिता- राम चंद्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो०- सिधिया खुर्द थाना- कर्पूरीग्राम जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रामानुज प्रसाद पिता- सीता राम साव ग्राम- चतुर्भुजपुर वार्ड 14 पो०- सरहन थाना- पडारक जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	उषा देवी पति- नन्द किशोर सिंह ग्राम- कोब्बा वार्ड 03 पो०- सकरदास थाना- वजीरगंज जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	नन्दलाल यादव पिता- शुकदेव यादव ग्राम- भलुका पो0- मलयपुर थाना- बरहट जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	साहीन प्रवीन पति- सफीउन रहमान ग्राम- सरायरजन टोले सलहा पो0- बरबट्टा थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			5,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,40,000/- (पाँच लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196783 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2507(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर संप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **27.08.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोना दुबे पति— मनीष कुमार दुबे ग्राम— श्याम भवन फ्लैट न0— 5/य राजेंद्र नगर रोड न— 12 पो0— राजेंद्र नगर थाना— कदमकुआ जिला— पटना	Lapchole Surgery	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	जयगुण देवी पति— विद्यानंद कुमार ग्राम— खरजमा पो0— ओरियावा थाना— एकगर सराय जिला— नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **196783** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।



4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 7508(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196987 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रिज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सक निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दयमती देवी पति- मोहन विन्द ग्राम+पो0- केशोपुर थाना- हिलसा जिला- नालदा	हीप रिप्लेशमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	मुन्ना ठाकुर पिता- के० वी० ठाकुर ग्राम- मोगलपुरा सुई की मस्जिद पो0- पटना सिटी थाना- खौंजेकला जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196783 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 33569032861 खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2509/14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 176983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनील प्रसाद बर्नवाल पिता- बलदेव लाल ग्राम+पो०+थाना- गिद्धौर जिला- जमुई केस फाईल न०- 19एफ2025/003718	कैंसर रोग	1,40,000	एक लाख चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	नरेश कुमार पिता- बैद्यनाथ यादव ग्राम+पो०- लालसाहपुर थाना- मब्बी जिला- दरभंगा केस फाईल न०-11एफ 2024/029401	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मुन्नी देवी पति- रामप्रवेश साह ग्राम- नयाटोला पो०- आगपुर थाना- मसूरचक जिला- बेगूसराय केस फाईल न०- 11एफ2025/012643	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	मीना देवी पति- दिनेश प्रसाद सिंह ग्राम- प्रताप पट्टी पो०- करनौल थाना- साहेबगंज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/004048	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सन्तुधन सहनी पिता- महग सहनी ग्राम- गिजास पो0+थाना- जैतपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/001953	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	जय जय राम यादव पिता- मकसूदन यादव ग्राम- लक्ष्मीपुर पो0- तेलहन थाना- सदर जिला- दरभंगा केस फाईल नं0- सीवी/39709	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	शिव शकर सिंह पिता- वृजनदन सिंह ग्राम+पो0- सम्बे थाना- वारसलीगज जिला- नवादा केस फाईल न0- 19एफ2024/004351	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
8	मासुला खातून पति- गुलाम मुर्तजा असारि ग्राम+पो0- बनचौरी थाना- डुमरा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2023/004046	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	रजन कुमार चौधरी पिता- रामबली चौधरी ग्राम+पो0- पतैली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 19एफ2024/002624	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
10	इताफ हुसैन पिता- अब्दुल हई ग्राम- तारसन टारा पो0- खरौना डीह थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2023/001025	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	मास्टर अकांश कुमार पिता- रोशन कुमार ग्राम- मकसूदपुर पो0- हरिरामपुर थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/003638	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

12	विजय पिता- सजीत राम ग्राम- सूतीहारा शिवराम पो0- छपरा मेघ थाना- मुशहरी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 003413	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	रेखा देवी पति- बिनोद राय ग्राम+पो0- महेशा फरकपुर थाना- महिन्दवारा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025 / 003890	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	माधुरी देवी पति- राजेश कुमार ग्राम- धरमपुर पो0- फतेहपुर फुलवरिया थाना- सराय जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025 / 000456	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	निरजन देवी पति- स्व0 पालतू साह ग्राम- मेथौरा पो0- बिशनपुर थाना- डुमरा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025 / 002005	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			10,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,50,000/- (दस लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2510(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी० एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रीयल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **27.08.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजीव कुमार पिता- राम नरेश चौरसिया ग्राम- जडुआ बरई टोला पो०- हाजीपुर थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला- वैशाली	हीप रिप्लेशमेंट	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
			₹ 45,000/-	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि०, ग्राउंड फ्लोर ए-11/33 अलकार सिनेमा रोड, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-110024 RTGS/IFSC कोड स० YESB0000203 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान और चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 25/11/14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक.. . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **27.08.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सतोष कुमार राज पिता— उमेश प्रसाद सिंह ग्राम— नूरपुर पो०— नाथनगर थाना— मधुसुदनपुर जिला— भागलपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2512(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक... ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गोपाल चौधरी पिता- रूपलाल चौधरी ग्राम+पो०- लोमा थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेन्टिंग	2,35,000	दो लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	कृष्णा यादव पिता- स्व० जय मंगल यादव ग्राम- योगीपुर पटना पो०- लोहिया नगर थाना- पत्रकार नगर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			3,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196923 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. ककडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.. RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2513 (14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Dr. Prabhat Memorial Hiramati Hospital,
Plot No. 106/107-B, Road No.
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,
Patna 800016

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इन्द्रजीत कुमार पिता— भागवत प्रसाद ग्राम+पो०— कोरावों थाना— चिकसौरा जिला— नालदा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाख पटना के क्रास चेक सं० 196763 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 15570210003107 खाता धारक का नाम— A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd., खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— UCO Bank, शाखा का नाम— Kankarbagh Patna, RTGS/IFSC कोड सं०— UCBA0001557 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक



है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 25/5 (14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुंज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	राकेश कुमार पिता- बरहमदेव प्रसाद ग्राम- मैनपुरा पो०+थाना- दानापुर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	मुन्नी खातून पति- मो० अशरफ ग्राम+पो०+थाना- नौबतपुर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मृदुला देवी पति- चानेश्वर पासवान ग्राम+पो०+थाना- नौबतपुर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	मो० हाकिम असारी पिता- मो० उस्मान ग्राम+पो०+थाना- नौबतपुर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	अमर प्रसाद पिता- सुरेश प्रसाद ग्राम- मोहनपुर डोधरा पो०- बहपुरा थाना- बिहटा जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	शांति देवी पति- सस्टु महतो ग्राम- मेहदीगंज पो०- झाउगंज थाना- मेहदीगंज जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

7	यशोदा कुंवर पति- अनंत प्रसाद सिंह ग्राम- मठिया पो- कुड थाना- दिनारा जिला- रोहतास	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2517(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मजू देवी पति- शिवकुमार पंडित ग्राम+पो0- सेओनान थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	भुलावन बिद पिता- सोमर बिद ग्राम+पो0- मोकर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	श्रीमती देवी पति- अरुण शर्मा ग्राम+पो0- मोकर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	कोशमी देवी पति- बढन माझी ग्राम+पो0- सेओनान थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	मनोज कुमार गुप्ता पिता- बदरी नारायण गुप्ता ग्राम- किजर पो0- नगला किजर थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	मो० सबीर हुसैन पिता- मो० सदुगुद्दीन ग्राम+पो०+थाना- किजर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	दुखनी देवी पति- उमेश सिंह ग्राम+पो०- नगला किजर थाना- किजर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	उमेश सिंह पिता- दर्शनी सिंह ग्राम+पो०+थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	सुनीला देवी पति- दिलीप सिंह ग्राम+पो०- नगला किजर थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	शकुन्तला देवी पति- सियाराम प्रसाद ग्राम+पो०- नगला किजर थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	आशा देवी पति- छोटन महतो ग्राम- किजर पो०- नगला किजर थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	बिदेश्वर मिस्त्री पिता- सकलदीप मिस्त्री ग्राम- किजर पो०- नगला किजर थाना- किजर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	डोमन ठाकुर पिता- लालसी ठाकुर ग्राम+पो०+थाना- किजर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	सीता देवी पति- रामकेवल सिंह ग्राम+पो०+थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	राम कली देवी पति- रामदेव प्रसाद ग्राम- लगला किजर पो०+थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

16	लीला देवी पति- केदार सिंह ग्राम- खोजन पो0- करहरी थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	उमेश प्रसाद पिता- चंद्रदेव राम ग्राम- नगला किंजर पो0+थाना- किजर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	सुनील कुमार पिता- जय नदन सिंह ग्राम+पो0- किंजर थाना- करपी जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	इतवरीया देवी पति- बलेश्वर सिंह ग्राम- जीवन बिगहा पो0- करहरी थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	गोरख सिंह पिता- अवदेश सिंह ग्राम- पामार पट्टी पो0+थाना- किजर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	चद्रमा पासवान पिता- गनौरी पासवान ग्राम+पो0+थाना- किजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	झाल सिंह पिता- गणेशी सिंह ग्राम+पो0+थाना- किंजर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	मानमती देवी पति- चद्रदीप सिंह ग्राम- खेजन पो0+थाना- किजर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0

50200021671321 खाता धारक का नाम— BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— HDFC BANK, शाखा का नाम— Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 25/9/14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196782 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— **27.08.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	छोटे लाल चौहान पिता— रामेश्वर चौहान ग्राम— तीलक चौक पो०+थाना— नारदीगंज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	सरयुग चौहान पिता— निरपत चौहान ग्राम— तीलक चौक पो०+थाना— नारदीगंज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सुखदेव चौहान पिता— बिशेश्वर चौहान ग्राम— बलाय चक पो०— मसौरहा थाना— नारदीगंज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	बुंदल चौहान पिता— भीम नारायण ग्राम— तीलक चौक पो०+थाना— नारदीगंज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	झविया देवी पति— राघो यादव ग्राम— गोटेन पो०+थाना— नारदीगंज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	ओमप्रकाश प्रसाद पिता- गंगा प्रसाद ग्राम- बरेसारा पो0- मसौरहा थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	श्यामदेव यादव पिता- श्री यादव ग्राम- गोटेयान पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	पार्वती देवी पति- महेश यादव ग्राम- गोटेयान पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	रतन देवी पति- छट्टू चौहान ग्राम- तिलक चौक पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	सुगिया देवी पति- छोटे लाल चौहान ग्राम- तिपकचौक पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	बिदेश्वरी चौहान पिता- जयमंगल चौहान ग्राम- जोरवार बिगहा पो0- मसौरहा थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	कैलाश चौहान पिता- प्रसादी चौहान ग्राम- जोरावर पो0- मसौरहा थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	राजो चौहान पिता- हेमत चौहान ग्राम- तिलक चौक पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	रूना देवी पति- विजय चौहान ग्राम- तिलक चौक पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 1,40,000/-	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196983~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0— **18940210000786** खाता धारक का नाम— 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD.' खाते का प्रकार— बैंक का नाम— UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम— KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं0 UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

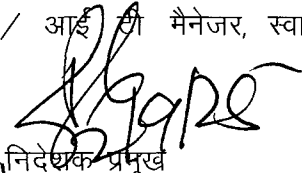
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2520(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~196983~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मनीष कुमार मनीष
पिता- नेविलाल सुधाकर
ग्राम- रोहुआ
पो०- शाहपुर
थाना- जन्दाहा
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844505

पटना दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीष कुमार मनीष पिता- नेविलाल सुधाकर ग्राम- रोहुआ पो०- शाहपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली पिनकोड- 844505	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 3303530331, खाता धारक का नाम- MANISH KUMAR MANISH, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- JANDAHA, IFSC कोड स०- CBIN0282460 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 254/14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.../26983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

हस्तलिखित प्रविष्टियाँ पासबुक में मान्य नहीं हैं।
Handwritten entries in passbook are not valid

आपकी आवश्यकता के अनुरूप हमारे ऋण उत्पाद

- सेंट आवास वित्त (वैयक्तिक आवास के लिए)
- सेंट विद्यार्थी (भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण)
- सेंट वाहन (दो पहिये / चार पहिये वाहन के लिए वैयक्तिक ऋण)
- सेंट मॉर्गेज (वैयक्तिक प्रयोजन के लिए संपत्ति के समक्ष ऋण)
- सेंट ट्रेड (व्यापारियों के लिए कार्यशील पूंजी)
- सेंट स्वाभिमान (रिवर्स मॉर्गेज योजना के लिए रिवर्स मॉर्गेज योजना)
- सेंट कृषि क्रेडिट कार्ड (किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ)
- सेंट लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
- सेंट रेंटल्स (भवी किराए के समक्ष ऋण)
- सेंट कल्याणी (महिला उद्यमियों को ऋण)
- पेंशनरों को ऋण (व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)
- लघु एवं मध्यम उद्यमी ऋण (एसएमई उद्यमियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)
- कृपया अपना पिन नम्बर (एटीएम कार्ड / क्रेडिट कार्ड) किसी भी व्यक्ति को फोन या ई-मेल द्वारा न दें, बैंक इस तरह कभी भी आपके व्यक्तिगत विवरण नहीं मांगता है।

Our Loan Products to meet your requirements

- Direct Housing Finance (For Personal Housing)
- Cent Vidyarthi (Education loan for higher studies in India & abroad)
- Cent Vehicle (Personal loan for two/four wheelers)
- Cent Mortgage (Loan for personal use against property)
- Cent Trade (Working Capital for traders)
- Cent Swabhimaan (Reverse Mortgage Scheme for Senior Citizens)
- Central Kisan Credit Card (empowering farmers for their financial requirements)
- Central Laghu Udyami Credit Card
- Cent Rentals (Loan against future rentals)
- Cent Kalyani (Loan to women entrepreneurs)
- Loan to Pensioners (to meet personal exigencies)
- Loan to MSME (to meet credit requirements of SME entrepreneurs)
- Please do not disclose your PIN (ATM Card/Credit Card) to anybody over phone or email, Bank never asks such personal details this way.

हमारा बैंक बीसीएसबीआई कोड अनुपालित है, विस्तृत विवरण के लिए कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क कीजिए।
We are BCSBI code compliant Bank. For details, please contact the Branch Manager.



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

ASPAPHA
Account No: 3303530331
STIN: 10AAA002498P32G
KYC No:

Branch Address And Tel No
AT JANDANA MENDOTRA COMPLEX
P.O. NARIKHURD P S JANDANA
DIST. VAISHALI
844505
Tel:

Name And Address Of Account Holder/s
Mr. MANISH KUMAR MANISH

S/O-NEVILALSUDHAKAR
VILL-RONGAPUR-SANAPUR
THANA-JANDA-BLOCK-JANDCIB-815048-84
844505 Nomination Y
OPERATING SINGLE

MICR Code 844016728

IFSC Code: CBIN0282460

28/11/2013

Tollfree no 18003030

Depositor is insured upto a maximum of Rs Five lacs subject to the conditions and announcements by DICGC from time to time

तारीख / Date

अधिकारी
OFFICER

MANAGER

A/C-330.3530331

IFSC code: CBIN0282460

Pranman Manish

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

शिव मंगल यादव

पिता- रामचंदर यादव

ग्राम- सारग डुमरी

पो०- रामनगर

थाना- रघुनाथपुर

जिला- सिवान

पिनकोड- 841504

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिव मंगल यादव पिता- रामचंदर यादव ग्राम- सारग डुमरी पो०- रामनगर थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान पिनकोड- 841504	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 502583843, खाता धारक का नाम- SHEEV MANGAL YADAV, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम- VILLIANOOR (285), IFSC कोड सं०- IDIB000V022 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

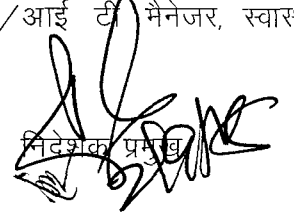
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2542(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्रमुख

बचत बैंक - दिशानिर्देश SAVINGS BANK - GUIDELINES

1. समय-समय पर प्रयोज्य ब्याज दरों पर किसी भी राशि की जमाएँ स्वीकार की जाती हैं।
2. सिर्फ खाताधारक के नाम पर लामांश अधिपत्र, चैक आदि वसूल किए जाते हैं।
3. गैर-चैक बुक खातों से आहरण के लिए पासबुक भी प्रस्तुत की जाए और हमेशा रु. 250/- का न्यूनतम जमा शेष अनुरक्षित किया जाए।
4. यदि चैक बुक सुविधा का लाभ उठाया गया है तो रु. 500/- का न्यूनतम जमा शेष अनुरक्षित किया जाए।
5. पास बुक को सुरक्षित रखा जाए और उसके लॉपता हो जाने पर तुरंत सूचित करें।
6. अनुरोध-पत्र देने पर एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते का अंतरण अनुमत किया जाता है।
7. कृपया हमेशा अपने नौ/बस अंकोंवाली खाता संख्या का उल्लेख करें। नियमों को आम हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते या शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

Deposits are accepted for any amount at rate of interest applicable from time to time. Dividend forms in case of non cheque book account of Rs. 250/- should always be maintained. Minimum credit balance of Rs. 500/- should be maintained and loss thereof should be made good. Transfer to another is permitted against a letter from the holder. You may download a copy of the account number. You may download a copy of the account number from the same from the branch.

अनुरोध A Request

- (1) कृपया पर्याप्त संख्या में प्रविष्टियाँ, यथा 10-15 प्रविष्टियाँ उपस्थित हो जाने पर किसी भी सी बी एस शाखा में पासबुक अद्यतन करा लें। कृपया पासबुक की प्रविष्टियों की जाँच करा लें और किसंगति/पुनः प्राप्त करने में अनुचित देरी न करें। (2) कहीं भी, कभी भी संकट-रहित बैंकिंग के लिए ए टी एम कार्ड का उपयोग करें।
- (1) Please tender the passbook for updation at any CBS branch after accumulation of sufficient entries. If sufficient entries are not available, update once in 6 months for getting the interest credit duly recorded. Also please check up the entries in the passbook and inform immediately to the Manager/ABM about any discrepancy or unreasonable delay in getting back your pass book. (2) Avail ATM card services for anywhere, anytime, hassle free banking. Use our Internet Banking, Mobile Banking and Phone Banking services for banking from the comforts of your office/residence.

21/2, Main Road
Villianur
Phone No : 2666329
Pondicherry
605110



इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

Branch : VILLIANOOR (285)

Business Hours :

CONTINUITY

continuity PB No : 2

IFSC Code : IDIB000V022 MICR Code : 605019012 Email Id : villianoor@indianbank.co.in

PERSONAL DETAILS

CIF : 0202603624

Name : SHEEV MANGAL YADAV R

PAN NO : EPGPS4101M

Mobile No : 9944613922

Mode of Op : SELF

D.O.B. (if minor) : N/A

Email ID :

Date of A/C Opening : 13/03/2003

Nom-Reg No :

Nominee :

Date of Issue : 17/11/2018 68682 285

Inform any Change in Your Address or Phone Number to the branch for updation.

Account No : 502583843

S/D/W of : RAMACHANDAR YADAV

NO.9 S.M.V PURAM

3RD CROSS ST

VILLIANUR

605110

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
ओम प्रकाश कुमार
पिता- राजाराम साह
ग्राम+पो०- रामनगर
थाना- पिपरा
जिला- सुपौल
पिनकोड- 852108

पटना दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ओम प्रकाश कुमार पिता- राजाराम साह ग्राम+पो०- रामनगर थाना- पिपरा जिला- सुपौल पिनकोड- 852108	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-3149101010039, खाता धारक का नाम- OM PRAKASH KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- SUPAUL, IFSC कोड स०- CNRB0003149 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2543(14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

केनरा बैंक



Canara Bank

NAME AND ADDRESS OF BRANCH

SUPAUL

CANARA BANK

CANARA BANK, FIRST FLOOR, WARD NO. 10

STATION ROAD

SUPAUL

BIHAR 851131 CNRB0003149

IFSC CODE: CNRB0003149

TELEPHONE NO.

BRANCH ID

Contract No. of Bank

The Banking Corporation

U. G. R. S.

India

14/07/2017

10/07/2017

Exp. No. / Date of payment

to 3149101016039

NAME

POSTAL ADDRESS

Occupation

Address

MIGRANT LAB. WORK

NO. 10, RANISAH, WARD NO. 10, STATION ROAD

PATNAGAR, SUPAUL, BIHAR

851131

Customer ID: 301828060

Account No.

Mobile No.

Mobile No.

Mobile No.

Mobile No.

Mobile No.

Mobile No.

Mobile No.

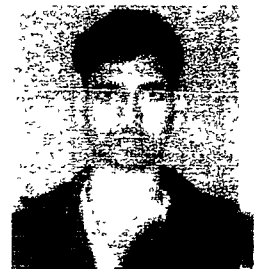
Mobile No.

Mobile No.

Mobile No.

Mobile No.

Mobile No.



खाता संख्या - 3149101016039

IFSC code - CNRB0003149

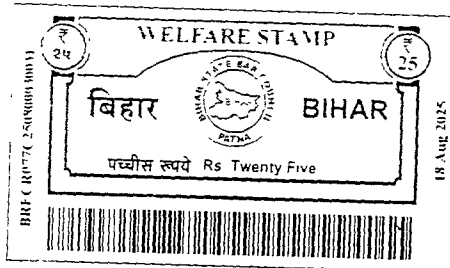
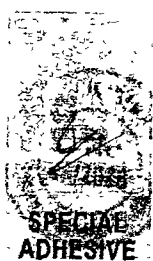
केनरा बैंक, सुपौल, बिहार

13/07/2017



Dep. Secy
21-8-25

समक्ष में,



श्रीमान अनुमंडल दंडाधिकारी, लेख्य प्रमाणक सुपौल।

जिला- सुपौल।

शपथ-पत्र

मैं, ओम प्रकाश कुमार आधार नं०- 5137 7605 5575 पिता राजाराम साह सा०- रामनगर, थाना- पिपरा, जिला- सुपौल धर्मत शपथ पूर्वक बयान वो एकरार करता हूँ -

- 1 यह कि मैं उक्त शपथ-पत्र का एकमात्र शपथकर्ता हूँ।
- 2 यह कि किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति हूँ। मेरा किडनी (गुर्दा) का प्रत्यारोपन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ में दिनांक 17.12.2024 के दिन हुआ है। मेरा दाखिला की तिथि- 14.12.2024 है।
- 3 यह कि मेरा गुर्दा का प्रत्यारोपण होने के बाद मुझे उपरोक्त संस्थान से दिनांक 24.12.2024 के दिन छुट्टी दे दिया गया है। मेरा दवाई खर्च प्रति माह 12,000=00 रूपया है जिसका एक साल का कुल दवाई खर्च 1,44,000=00 (एक लाख चौवालीस हजार) रूपया होता है।
- 4 गृह नि गरीबी रेखा के अन्तर्गत आता हूँ। गरीबी रेखा में निर्वहन करने वाले को अनुदान राशि दी जाती है। लेकिन मुझे अनुदान की राशि प्राप्त हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री मेडिसीन संस्थान फंड से गुर्दा प्रत्यारोपण करवाया हूँ।
- 5 यह कि मैंने मुख्यमंत्री संस्थान (फंड) से अनुदान की राशि 2,75,000=00 रूपया प्राप्त कर लिया है।
- 6 यह कि मैंने मुख्यमंत्री संस्थान से (फंड) दवाई का प्रथम किस्त 1,08,000=00 रूपया प्राप्त कर लिया है।
- 7 यह कि मेरा बचत खाता सं०- 3149101010039 है जो कैनरा बैंक शाखा-सुपौल, जिला- सुपौल का है तथा IFSC Code- CNRB0003149 है।
- 8 यह कि मैं दवाई के लिए मुख्यमंत्री मेडिसीन फंड (संस्थान) से अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु उक्त शपथ पत्र बनवा रहा हूँ।
- 9 यह कि मेरे द्वारा दिया गया वर्णन बयान सही है। गलत पाये जाने पर स्वयं जिम्मेवार वो दावा करूंगा।

17930

Om Prakash Kumar
Nandan Kumar Gupta

मैं पुन धर्मत शपथ पूर्वक बयान वो एकरार करता हूँ कि शपथ पत्र पे दर्शित सारी बातें मेरी जानकारी एवं विश्वास में बिल्कुल सही एवं दुरुस्त है, पढकर/पढवाकर समझ लिया, सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

शपथकर्ता

W. 21/8/25 ओमप्रकाश कुमार

कार्यपालक दंडाधिकारी

सुपौल

प्रमाणकर्ता

Dep. Secy
21-8-2025

EM No - BR/1666/2016

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
नागेन्द्र कुमार
पिता- स्वयम्बर साव
ग्राम+पो०+थाना- मखदुमपुर
जिला- जहानाबाद
पिनकोड- 804422

पटना दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नागेन्द्र कुमार पिता- स्वयम्बर साव ग्राम+पो०+थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद पिनकोड- 804422	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30 01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-447710100018245, खाता धारक का नाम- NAGENDRA KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- ARWAL, IFSC कोड स०- BKID0004477 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2544-(14)

पटना, दिनांक 08/7/2025-

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक पटना



Registered (Yes/No)

(यदि / हो)

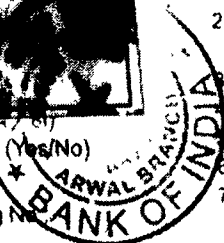
If Yes, Reg No.

(वैकल्पिक)

(Optional)

नाम

Name.



पासबुक
Pass Book
बैंक ऑफ इंडिया
BANK OF INDIA

उपयोगी सुझाव :

- 1 अपने खाते के बारे में जानकारी पाने के लिए अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं।
- 2 पूछताछ आदि के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
- नियमित रूप से अपना पासबुक अपडेट करवाएं।
- जहाँ भी संभव हो स्थायी अनुदेश (SI) जारी करें।
- पासबुक में कहीं भी हस्ताक्षर न करें।
- हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं।
- कोई समस्या हो या कोई मूल्यवर्धित सेवा की आवश्यकता हो तो शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।
- टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
- झूठे वादों का शिकार न बनें, फर्जी योजनाओं से सतर्क रहें।
- कृपया अपने खाता की जानकारी / इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड, एटीएम डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / मोबाइल बैंकिंग संबंधी व्यक्तिगत जानकारी किसी को न दें।

Useful Tips :

1. Register your Mobile and email-id for getting information about your account.
2. You may call toll free number for inquiry etc.
3. Get pass-book updated regularly.
4. Issue standing instructions wherever possible.
5. Do not put signature anywhere in pass-book.
6. We welcome your suggestions.
7. Contact branch manager in case of difficulties/Value added services.
8. Toll Free Help Line No.
9. Do not fall prey to false promises; beware of dubious schemes.
10. Please do not disclose your Account details/Internet Banking, User ID and Password/ATM Debit Card/ Credit Card/ Mobile Banking Personal information to any Person.

Mr. Name : ANIMAL
Mr. Address : P. U. ANIMAL, DI. ANIMAL
BILHAR, ANIMAL, 004401
Mr. Tel. : 06331-221325
Mr. Email : ANIMAL.patna@bankofindia.co.in
IFSC Code : BKIU0004477
MICK Code : 004013102
Customer Id : 019066271
ACCOUNT No. : 447710100018245
Name : I. NAGENDRA KUMAR

Occupation : AGRICULTURE AND ALLIED AC
Address : S/O - LATE SURENDRA SAU, A1: NAGENDRA
MUSI: ANIMAL
ANIMAL
BILHAR INDIA
Operational Inst: SLL
Nomination : Not Regd.
A/c Open Dt.: 07-06-2001
Scheme Desc: SAVINGS BANK GENERAL
Scheme Code: 38101
Spl. Charge Code: NO CONCESSIONS IN CHARGES

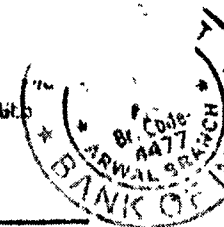
For your queries / enquiry

toll free no. of our call center: 1800270729, 18001031906

this pass book is system generated and does not require any initials

Grievance Redress Officer, DU:

Grievance Redress Officer, branch: 06331-221325



Ac = 447710100018245

स० स० 14/एम 11- 01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मनिष कुमार

पिता- योगेन्द्र प्रसाद

ग्राम+पो०- टेगारी

थाना- सिवाईपट्टी

जिला- मुजफ्फरपुर

पिनकोड- 843128

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनिष कुमार पिता- योगेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो०- टेगारी थाना- सिवाईपट्टी जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843128	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 37837539323, खाता धारक का नाम- MANISH KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं०- SBIN0012556 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

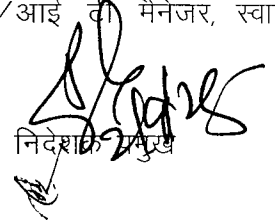
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2545 (14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, मुख्य

Clf Number: 90147358345

Account Number: 37837539323

IFSC Code: SBIN0012556

First Name: MANISH

Middle Name:

Last Name: KUMAR

Address: 101, Yashwantrao Chavan Road, Vill. P.
A. gram.

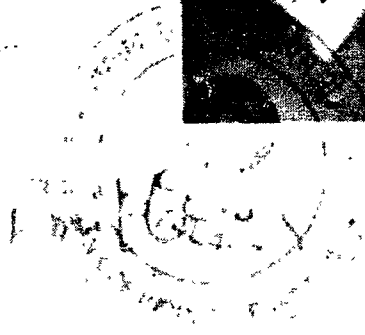
Pin Code:

Village Name:

Pin Code:

KM. Name:

Pin Code:



A/C NO - 37837539323

IFSC - SBIN0012556

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

363 (14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मनिष कुमार
पिता- योगेंद्र प्रसाद
ग्राम+पो०- टेगारी
थाना- सिवाईपट्टी
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843128

पटना, दिनांक 05/01/2025

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनिष कुमार पिता- योगेंद्र प्रसाद ग्राम+पो०- टेगारी थाना- सिवाईपट्टी जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843128	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 17682/... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 37837539323 खाता धारक का नाम- **MANISH KUMAR**, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- **STATE BANK OF INDIA**, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं०- **SBIN0012556** में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वराज
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
राजीव रजन गुप्ता
पिता- स्व० सुरेश चन्द्र गुप्ता
ग्राम- सदर बाजार दानापुर
पो०- दानापुर कैट
थाना- दानापुर
जिला- पटना
पिनकोड- 801503

पटना दिनांक ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए विशेष परिस्थिति में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजीव रजन गुप्ता पिता- स्व० सुरेश चन्द्र गुप्ता ग्राम- सदर बाजार दानापुर पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना पिनकोड- 801503	Post Kidney Transplant Medicine	50,000	Fifty Thousand Allowed. In Special Circumstances.
			रु० 50,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 50,000 / - (पचास हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स०
196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 50100243079387, खाता धारक का नाम- RAJIV RANJAN GUPTA, खाते का प्रकार-SAVINGS A/C, बैंक का नाम- HDFC BANK LTD, शाखा का नाम- NEAR DINAPUR POLICE STATION, IFSC कोड स०- HDFC0004226 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2546 (14)

पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्देशक प्रमुख

Stay Connected To Your Bank ... Always!



NetBanking:
Log on to www.hdfcbank.com



MobileBanking:
75+ transactions on offer through MobileBanking
To download MobileBanking App
Call 1800 270 3344



**Immediate Payment
Service (IMPS):**
Instant money transfer even on
Holidays through NetBanking & MobileBanking



Toll Free MobileBanking
Account Balance - 1800 270 333
Cheque book - 1800 270 3366
Mini Statement - 1800 270 335
Account Statement - 1800 270 33

Terms and Conditions apply



GoDaddy

MobileBanking App available on iPhone, iPad, Windows, BlackBerry, Nokia, Android Tablet

hdfcbank.com
Click. Choose. Apply

HDFC BANK
We understand you

HDFC BANK LTD

Account Number : 50100243079387
Customer Name : RAJIV PANJABI GUPTA
Customer Id : 113534256
A/C Open Date : 09/07/2018
Joint Holder : SUMITA GUPTA
Joint Holder : None
Address : S/O SUPESH CHANDRA GUPTA WARD NO 04
HOUSE NO 81 SADAR BAZAR DINAPUR
OPP BALDEVA HIGH SCHOOL
City : PATNA
Pin Code : 801503
State : BIHAR
Country : INDIA
Res Tel No :
Mobile No : 918210161007
Nomination : Not Registered

Product Code : 193-SAVINGS A/C - SB MAX
A/C Currency : INR
Branch Code : 4226
Branch Name : DINAPUR
Branch Address : SADAR BAZAR ROAD,
NEAR DINAPUR POLICE STATION,
DINAPUR, DISTRICT - PATNA
City : DINAPUR
Pin Code : 801503
State : BIHAR
Country : India
Branch Tel No : 18602666161
MICR Code : 600240013
IFSC Code : HDFC0004226

राि सं 14/24 11- 01/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

1999(14)

पेषक

डा० सुनील कुमार झा

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

राजीव रंजन गुप्ता

पिता- स्व० सुरेश चन्द्र गुप्ता

गाम- सदर बाजार दानापुर

पो०- दानापुर कैंट

थाना- दानापुर

जिला- पटना

पिनकोड- 801503

पटना, दिनांक 21/8/2024

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

गवारा,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.08.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत आपके राजीव रंजन गुप्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए अनुदान के रूप में कॉलम-4 में जंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र.सं.	रोगी का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजीव रंजन गुप्ता पिता- स्व० सुरेश चन्द्र गुप्ता गाम- सदर बाजार दानापुर पो०- दानापुर कैंट थाना- दानापुर जिला- पटना पिनकोड- 801503	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30. 01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 967655 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 50100243079387 खाता धारक का नाम- RAJIV RANJAN GUPTA, खाते का प्रकार- बचत खाता, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- SADAR BAZAR DANAPUR NEAR POLICE STATION, IFSC कोड सं० HDFC0004226 में अंतरित किया जाता है।

3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/रोकन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी भेद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाषी
(डा० सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख